न्यायालय :–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा जिला खण्डवा (म.प्र.)
(समक्ष :–नेहा प्रजापति)

फाईलिंग नंबर–	1110-2020
सी.एन.आर. नंबर–	MP1201-001360-2020
संस्थित दिनांक	26-02-2020

{ निर्णय दिनांक 11/07/2026 को घोषित }
{ RCT/238/2020 }

पुलिस थाना–कोतवाली के अपराध क्रमांक–779/2019 अपराध अंतर्गत धारा–353, 186 एवं 34 भा.दं.सं. से उद्धभूत प्रकरण

अभियोजन :–	राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–कोतवाली, जिला खण्डवा (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा :–	श्री भूरालाल वास्कले ए.डी.पी.ओ.।
अभियुक्तगण :–	1. हरप्रीतसिंह उर्फ मीत सलूजा पिता संतोखसिंह सलूजा, उम्र 40 वर्ष, 2. जसप्रीत कौर उर्फ प्रीति पति हरप्रीतसिंह उर्फ मीत, उम्र –33 वर्ष, दोनों निवासी एम.आई.जी.–I रामनगर खण्डवा, थाना कोतवाली, तहसील व जिला खण्डवा (म.प्र.)।
प्रतिनिधित्व द्वारा :–	श्री विक्रम लश्करी, अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	22-12-2019
प्र.सू.रि. की तारीख	22-12-2019
आरोप पत्र की तारीख	26-02-2020
आरोपों के विरचना की तारीख	12-08-2021
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	08-10-2021

निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	09-07-2026
दण्डादेश, यदि कोई हो की तारीख	11-07-2026

अभियुक्त का विवरण							
अभि. की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी / उप की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्ध	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 468 बी.एन.एस.एस. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	हरप्रीत सिंह उर्फ मीत	23.12. 2019	31.12. 2019	धारा 353 (कॉउण्टर–02) एवं 186 (कॉउण्टर–02) भा.दं.सं.	**दोषसिद्धि**	दोषसिद्धि कंडिका क्रमांक–35 के अनुसार	8 दिवस
2	जसप्रीत कौर उर्फ प्रीति	23.12. 2019	30.12. 2019				7 दिवस

<u>अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूचीः–</u>

क. अभियोजन साक्षीः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
अ.सा.–01	परिणीता	आहत साक्षी
अ.सा.–02	रमेश मोरे	शिकायतकर्ता साक्षी
अ.सा.–03	डॉ. नितिन कपूर	चिकित्सक साक्षी
अ.सा.–04	रणजीत	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.–05	भाउलाल चित्तौड़े	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.–06	गणेश चौहान	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.–07	टेकमचंद शिंदे	चक्षुदर्शी साक्षी

अ.सा.–08	रामप्रकाश यादव	कायमीकर्ता साक्षी
अ.सा.–09	महेन्द्रसिंह	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.–10	बनवारीलाल मण्डलोई	विवेचक साक्षी

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूचीः–</u>

क. अभियोजन प्रदर्श :–

क्र.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
01	प्रदर्श पी–01/अ.सा–02	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी–02/अ.सा.–02	नक्शा मौका
03	प्रदर्श पी–03/अ.सा.–03	रमेश, एम.एल.सी.
04	प्रदर्श पी–04/अ.सा.–06	आरक्षक गणेश पुलिस कथन
05	प्रदर्श पी–05, 06/अ.सा.–10	गिरफ्तारी पत्रक
06	प्रदर्श पी–07, 08/अ.सा.–10	रोजनामचा सान्हा

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्श :–

सं.क्रं.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
01.	प्रदर्श डी–01/अ.सा.04	साक्षी रणजीत का पुलिस कथन

1– अभियुक्तगण पर अपराध अंतर्गत धारा–353 (काउन्टर–02) एवं 186 (काउन्टर–02) भा.दं.सं. का आरोप है कि अभियुक्त हरप्रीतसिंह तथा जसप्रीत ने दिनांक 22.12.2019 को समय 21:25 बजे से 21:40 बजे के मध्य अंतर्गत आरक्षी केन्द्र कोतवाली जिला खंडवा स्थित रामनगर खण्डवा में लोकसेवक **रमेश मोरे एवं अन्य पुलिसकर्मियों** पर उनकी सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को कारित करने के लिए या उक्त लोक सेवक को क्षति, भय, क्षोभ, कारित करने के आशय से हमला एवं आपराधिक बल का प्रयोग किया है एवं उक्त लोकसेवकों एवं अन्य पुलिसकर्मियों को उस समय जब वे लोकसेवक के नाते अपने पदीय कृत्यों का निष्पादन कर रहे थे, तब उक्त लोक सेवक को उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा उत्पन्न की।

2– अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सहायक उपनिरीक्षक

रमेश द्वारा इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 22.12.2019 को उपनिरीक्षक टी.सी.शिन्दे, उपनिरीक्षक परिणीता बेलेकर, सहायक उपनिरीक्षक भाउलाल चितौड़े, आरक्षक 539 गणेश के हमराह गिरफ्तारी वारंट के प्रकरण क्रमांक 3114/15 धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. एस.सी.एन.आई.ए.118/19 धारा 138 एन. आई. एक्ट, एस.सी.एन.आई.ए. 2402685/15 धारा 138 एन.आई. एक्ट एस.सी.एन. आई. एक्ट, 0000299/18 धारा 138 एन.आई. एक्ट, एस.सी.एन.आई. 0000494/17 धारा 138 एन.आई. एक्ट के गिरफ्तार वारंटी हरप्रीत सिंह की तलाश हेतु चौकी रामनगर में मय वाहन के रवाना होकर हरप्रीत सिंह के घर रामनगर पहुंचे थे जिसकी तलाश करते घर पर मिला तब उसके द्वारा वारंटी को उसके उक्त पांच वारंट दिखाये गये तथा गिरफ्तारी देने के लिये बताया गया तो वारंटी गिरफ्तारी देने से इंकार कर दिया जिसे उसके द्वारा एवं उपनिरीक्षक टी.सी. शिन्दे व फोर्स के द्वारा उचित समझाईश दी गई।

3— अभियोजन कथा आगे यह है कि वारंटी हरप्रीत द्वारा वारंट को छीनकर मसलकर फेंक दिया और उत्तेजित होकर गाली—गलौच कर सहायक उपनिरीक्षक मोरे की गर्दन व हाथ पकड़ लिया और झूमा झटकी की व वर्दी उतरवा देने की धमकी देने लगा। इतने में उसकी पत्नी जसप्रीत ने भी आकर उत्तेजित होकर चिल्ला—चोट करने लगी जिसे उपनिरीक्षक परिणीता बेलेकर द्वारा उसकी पत्नी को समझाया गया तो उसने भी उपनिरीक्षक परिणीता बेलेकर का हाथ पकड़ कर झूमा—झटकी कर पुलिस को गाली—गलौच कर अभद्र व्यवहार किया। वारंटी हरप्रीत व उसकी पत्नी द्वारा वारंट तामिली के दौरान शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। मौके की नजाकत को देखते हुये वारंटी हरप्रीत को जैसे—तैसे हमराह पुलिस बल के थाना कोतवाली लेकर आये। उक्त घटना से थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराया गया। अभियुक्तगण द्वारा किये गये कृत्य पर अपराध क्रमांक 779/19 धारा 353, 186, 34 भा.दं.सं. का कायम कर विवेचना में लिया गया।

4— विवेचना अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान साक्षियों के कथन अंकित किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, फरियादी/आहत का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया, बाद आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

जिस पर न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण को अभियोग पत्र एवं अभियोग पत्र से संबंधित दस्तावेजों के संबंध में प्रतिलिपि प्रदान की गई।

5— अभियुक्तगण को निर्णय की कंडिका क्रं. 01 में वर्णित आरोप विवरण पत्र की विशिष्टियों को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया अभियुक्तगण द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया गया, उनका अभिवाक लेखबद्ध किया गया जिन्होने विचारण की मांग की।

6— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्य में दर्शित होने वाली परिस्थितियों के स्पष्टीकरण हेतु धारा अंतर्गत 351 बी.एन.एस. में किए गए परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन साक्ष्य की सत्यता से इंकार कर स्वंय को निर्दोष होना व्यक्त किया एवं बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

7— प्रकरण के न्यायिक निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैः—

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 22.12.2019 को समय 21:25 बजे से 21:40 बजे के मध्य अंतर्गत आरक्षी केन्द्र कोतवाली जिला खंडवा स्थित रामनगर खण्डवा में लोकसेवक रमेश मोरे एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर उनकी सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को कारित करने के लिए या उक्त लोक सेवक को क्षति, भय, क्षोभ, कारित करने के आशय से हमला एवं आपराधिक बल का प्रयोग किया है ?

(2) क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर लोकसेवक रमेश मोरे एवं अन्य पुलिसकर्मियों को उस समय जब वे लोकसेवक के नाते अपने पदीय कृत्यों का निष्पादन कर रहे थे, तब उक्त लोक सेवक को उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा उत्पन्न की ?

(3) दोषसिद्धी एवं दंडादेश ?

<u>—::विवेचना एवं निष्कर्ष::—</u>

<u>—::विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष::—</u>

8— साक्षी परिणीता (अ.सा.01) द्वारा मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि

दिनांक 22.12.2019 को पुलिस थाना कोतवाली में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते उक्त दिनांक को उपनिरीक्षक पी.सी. शिन्दे, सहायक उपनिरीक्षक रमेश मोरे, सहायक उपनिरीक्षक चित्तौड़े एवं आरक्षक गणेश के साथ गिरफ्तारी वारंट प्रकरण क्रमांक 3114/15 धारा 279, 337 एवं 338 भा.दं.सं. एवं 138 एन.आई. एक्ट के 04 प्रकरण में गिरफ्तारी वारंट हरप्रीतसिंह पिता संतोख निवासी रामनगर खण्डवा की तलाश हेतु चौकी रामनगर से मय वाहन के रवाना हुए थे और हरप्रीतसिंह के घर पहुंचे थे, जहां उसकी तलाश करते वह घर पर मिला। सहायक उपनिरीक्षक रमेश मोरे द्वारा हरप्रीतसिंह को 5 वारंट दिखाकर उसे गिरफ्तारी देने के लिए बताया तो हरप्रीतसिंह द्वारा गिरफ्तारी देने से इंकार कर दिया जिसे उसके द्वारा एवं उपनिरीक्षक पी.सी. शिन्दे एवं फोर्स के द्वारा समझाईश दी गई किन्तु वारंटी हरप्रीतसिंह द्वारा सहायक उपनिरीक्षक रमेश मोरे द्वारा वारंट दिखाने पर वारंट छीनकर वारंट मसलकर फेंक दिया और उत्तेजित होकर गाली—गलौच कर रमेश मोरे की गर्दन पकड़कर हाथ मोड़ दिया और झूमा—झटकी की तथा वर्दी उतरवाने की धमकी देने लगा, उसके बाद हरप्रीतसिंह की पत्नि जसप्रीत ने आकर उत्तेजित होकर चिल्ला—चोट की जिसे उसके द्वारा समझाया गया तो उसने पुलिस को गाली—गलौच कर अभद्र व्यवहार किया।

9— उक्त साक्षी द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में यह भी अभिकथन किया कि अभियुक्त हरप्रीत और उसकी पत्नि जसप्रीत द्वारा तामिली के दौरान शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की उसके पश्चात वे वारंटी हरप्रीत को पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली लेकर गये थे। अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध हुआ था जिसमें उसके कथन थाना प्रभारी द्वारा किये गये थे। जिसका समर्थन साक्षी रमेश मोरे (अ.सा.02) द्वारा भी किया गया है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—01 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी की साक्ष्य का समर्थन साक्षी रमेश मोरे (अ.सा.02), साक्षी भाउलाल चित्तौड़े (अ.सा.05), साक्षी गणेश चौहान (अ.सा.06), साक्षी टेकमचंद शिंदे (अ.सा.07) द्वारा किया गया है।

10— साक्षी रमेश मोरे (अ.सा.02) द्वारा मुख्यपरीक्षण में यह भी अभिकथन किया कि उसके द्वारा निरीक्षक बी.एल. मण्डलोई के साथ घटना स्थल अभियुक्त जसप्रीत के घर रामनगर जाकर घटना स्थल बता दिया था जिस संबंध में बी.एल. मण्डलोई द्वारा घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया था जो प्रदर्श पी—02 है जिसके

ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, जिसका समर्थन साक्षी बनवारीलाल मण्डलोई (अ.सा.10) द्वारा किया गया है।

11– चिकित्सक साक्षी नितिन कपुर (अ.सा.03) द्वारा मुख्यपरीक्षण में अभिकथन किया कि वह दिनांक 23.12.2019 को **आहत रमेश** मोरे उम्र 44 वर्ष को परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाये जाने पर आहत द्वारा हमले में चोट आना बताया गया था। परीक्षण में आहत ने गले में दर्द होना बताया गया इसके अतिरिक्त और कोई तकलीफ नहीं बतायी गई। उसके द्वारा गले के परीक्षण में कोई बाहरी चोट नहीं पायी गयी। उसके द्वारा आहत को लक्षण आधारित उपचार प्रदान किया गय तथा नाक, कान व गला विशेषज्ञ हेतु सुझाव दिया गया। उसके द्वारा दी गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

12– साक्षी रणजीत (अ.सा.04) द्वारा मुख्यपरीक्षण में अभिकथन किया कि वह हरप्रीतसिंह को जानता है, उसकी फर्नीचर की दुकान है। अभियुक्त हरप्रीत उसकी दुकान से फर्नीचर में बेड, गद्दा, ड्रेसिंग टेबल, मंदिर लेकर गया था उसके बदले उसने उसे 74,000/– रुपये का चैक दिया था। घटना वर्ष 2019 की है। चैक को उसने इनकेस करने के लिये बैंक में लगाया तो चैक बाउंस हो गया था एवं कई बार उनके घर जाकर उधार पैसे मांगे परंतु उसने पैसे नहीं दिये और उसके घर वाले बोलते थे कि नहीं है और अक्सर घर पर नहीं मिलता था। उसने उसकी शिकायत रामनगर चौकी में भी की थी। घटना दिनांक को पुलिस अधिकारी महेन्द्रसिंह सावनेर अभियुक्त के घर उधार के पैसे मांगने गये थे एवं अभियुक्त हरप्रीत को गिरफ्तार करने गिरफ्तारी वारंट लेकर गये थे तो गिरफ्तार देने से मना कर रहे थे एवं घर की महिलाओं को आगे खड़ा कर दिया था एवं रामनगर चौकी के नावड़े साहब एवं अन्य पुलिस वालों के साथ अभद्र व्यवहार एवं झूमा झटकी की। पुलिस वालों के साथ कॉलर वगैरह पकड़ ली थी।

13– साक्षी गणेश चौहान (अ.सा.06) द्वारा मुख्य परीक्षण में यह भी अभिकथन किया कि हरप्रीत और उसकी पत्नि जसप्रीत दोनों के द्वारा पुलिस का किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया और शासकीय कार्य में बाधा डाली। साक्षी को उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी–04 के ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने पुलिस को ऐसे कथन देना स्वीकार किया है।

14— साक्षी उपनिरीक्षक रामप्रकाश यादव (अ.सा.08) द्वारा मुख्यपरीक्षण में अभिकथन किया कि दिनांक 22.12.2019 को थाना कोतवाली में फरियादी सहायक उपनिरीक्षक रमेश मोरे की रिपोर्ट पर से अभियुक्त हरप्रीत तथा जसप्रीत के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 353, 186 व 34 भादवि की उसके द्वारा फरियादी के बताये अनुसार लेखबद्ध की गई थी जो प्रदर्श पी—01 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के दौरान अखंडित रही है।

15— साक्षी महेन्द्रसिंह (अ.सा.09) द्वारा मुख्यपरीक्षण में अभिकथन किया है कि वह अभियुक्त हरप्रीत उर्फ मित व जसप्रीत को पहचानता है। घटना दिनांक 22.12.2019 की होकर रात के 8—9 बजे की रामनगर की है। अभियुक्त ने उसे जो चैक दिया था वो बाउंस हो गया था उसके बाद वे उसके घर गये थे। पुलिस भी उनके साथ अभियुक्त का गिरफ्तारी वारंट लेकर गई थी तो उसकी पत्नि ने एवं हरप्रीत ने पुलिस के साथ झूमा—झटकी कर अभद्र व्यवहार किया था। साथ में महिला पुलिस भी थी। जसप्रीत ने महिला पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया था। वह पहले भी 2—3 बार हरप्रीत के घर गया था, वहां पर हरप्रीत उसकी पत्नि को आगे कर देता था और झूठी शिकायत करने की धमकी देता था।

16— बनवारीलाल मण्डलोई (अ.सा.10) द्वारा मुख्यपरीक्षण में अभिकथन किया कि दिनांक 22.12.2019 को विवेचना के दौरान फरियादी रमेश मोरे, उपनिरीक्षक परिणीता बेलेकर, ए.एस.आई. भाउलाल चित्तौड़े, आरक्षक गणेश, उपनिरीक्षक टेकमचंद शिंदे, साक्षी महेन्द्रसिंह व रणजीत के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्तगण जसप्रीत एवं हरप्रीतसिंह को पंचान साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—05 व 06 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान रवानगी सान्हा क्रमांक 420 समय 21:00 बजे दिनांक 22.12.2019 व वापसी सान्हा क्रमांक 29/19 समय 23:08 बजे दिनांक 22.12.2019 पर प्रविष्टियां दर्ज की गई है, वापसी सान्हा प्रदर्श पी—07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा रवानगी सान्हा प्रदर्श पी—08 है। विवेचना के दौरान अभियुक्त हरप्रीतसिंह का आपराधिक रिकॉर्ड प्रकरण में संलग्न किया, उक्त साक्षी की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण दौरान अखंडित रही है।

17— प्रकरण का सूक्ष्मतापूर्वक करने पश्चात यह दर्शित होता है कि

अभियोजन द्वारा फरियादी व आहत जो कि पुलिसकर्मी है, की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते समय आपराधिक बल का प्रयोग करने पर रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 लेखबद्ध की गई। उक्त घटना के चक्षुदर्शी साक्षी रणजीत, भाउलाल चित्तौडे, गणेश चौहान, टेकमचंद, महेन्द्र है, जिनके द्वारा भी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 का समर्थन किया गया है। प्रकरण के मुख्य आहतगण परिणीता वेलेकर (अ.सा.–1) एवं रमेश मोरे (अ. सा.–2) द्वारा भी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 का समर्थन करते हुए अभिकथन किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथा का समर्थन करते हुए आहतगण के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर आपराधिक बल का प्रयोग किये जाने के संबंध में कथन किया गया है।

18– चिकित्सकीय साक्षी नितिन कपूर (अ.सा.–3) द्वारा भी मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया है कि आहत रमेश मोरे के गले में दर्द पाया गया, जिस पर बचाव पक्ष द्वारा तर्क किया गया है कि इस प्रकार की चोट नहीं है परंतु यह अवलोकनीय है कि उपहति के संबंध में बाहरी चोट दिखना आवश्यक नहीं है, दर्द व सूजन भी उपहति की श्रेणी में आता है तथा आहतगण द्वारा स्पष्ट रूप से अभिकथन किया गया है कि आरोपी हरप्रीत एवं उसकी पत्नी जसप्रीत द्वारा आरोपी हरप्रीत के वारंट तामीली के समय अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौच की और झूमा झटकी की तथा सभी वारंटो को मसलकर फेक दिया गया। जिसका समर्थन साक्षी चक्षुदर्शी साक्षीगण द्वारा किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा भी यह भी तर्क किया गया है कि विवेचक द्वारा मसले हुए वारंट की जप्ती नहीं की गई है परंतु यह अवलोकनीय है कि घटना के समय आहतगण, आरोपी हरप्रीत को गिरफ्तार करने के लिये गये थे परंतु आरोपी हरप्रीत व उसकी पत्नी द्वारा पुलिसकर्मियों से सहयोग न करते हुए चिल्ला चोट कर अभद्र व्यवहार किया और वारंट मसलकर फेक दिये। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया घटना के समय अभियुक्त हरप्रीत को गिरफ्तार करना न कि मसले हुए वारंट को जप्त करना और अभियुक्त को उक्त दिनांक को ही गिरफ्तार किया गया। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का यह तर्क कि आहतगण को कोई चोटे नहीं आई है व वारंट की जप्ती नहीं है निराधार प्रतीत होती है क्योकि बचाव पक्ष द्वारा खंडन में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि उनके विरूद्ध कोई भी गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं हुआ है।

19– बचाव पक्ष द्वारा परीक्षित किये गये साक्षियो के प्रतिपरीक्षण के

दौरान यह सुझाव दिये गये है कि वारंट की तामीली के समय फरियादी द्वारा कोई सर्च वारंट प्राप्त नहीं किये गये थे परंतु यह अवलोकनीय है कि गिरफ्तारी वारंट की तामीली के समय कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। साक्षी रणजीत (अ.सा.–4), महेन्द्र(अ.सा.–9) की साक्ष्य के अनुसार आरोपी के घर में होने की सूचना देने पर फरियादी को पांच गिरफ्तारी वारंट की तामीली हेतु आरोपी के घर गये थे जिस पर आरोपी हरप्रीत द्वारा सहयोग न करते हुए आपराधिक बल का प्रयोग किया जबकि घटना के समय रात्रि 9:25 ही था न कि मध्यरात्रि। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का उक्त तर्क कि गिरफ्तारी वारंट की तामीली हेतु सर्च वारंट की आवश्यकता है, निराधार प्रतीत होता है।

20– इसके अतिरिक्त आरोपीगण द्वारा व्यक्त किया गया है कि फरियादी बिना वारंट के उनके घर आ गये ओर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी परंतु उक्त तर्क के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है, जबकि अभियोजन द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी हरप्रीत के विरूद्ध अन्य न्यायालय के जारी गिरफ्तारी वारंट जारी हुए थे। जिससे यह प्रथम दृष्टया दर्शित होता है कि आरोपी हरप्रीत के विरूद्ध अन्य 5 प्रकरण लंबित रहे है जिनकी तामीली के लिये फरियादी घटना दिनांक को आरोपी के घर गया था जिसकी पुष्टि सभी अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य एवं प्रदर्श पी–1 से होती है, जिसे बचाव पक्ष द्वारा खंडित नहीं किया गया है।

21– बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा वास्तविक घटना के अनुसार कथन नहीं किये गये है परंतु फरियादी व अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण के न्यायालयीन कथन में जो लोप, विरोधाभास व सुधार उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक तात्विक बता रहे हैं, वे वस्तुतः अत्यंत साधारण हैं और समय के साथ बयान में इतना परिवर्तन होना स्वाभाविक है।

22– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **न्याय दृष्टांत आगरा सिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ बिहार, ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 2777** में यह प्रतिपादित किया गया है कि– "One hardly comes across a witness whose evidence does not contain a grain of untruth or at any rate exaggeration, embroidery or embellishments. It is, therefore, the duty of court to scrutinise the evidence carefully." इस संबंध में

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ राजस्थान विरूद्ध अब्दुल मनान, (2011) 8 एस.सी.सी. 65** में प्रतिपादित विधि अनुसरणीय है कि– "Variations in minor details of the incident are immaterials, unless discrepancy in the entire statement erodes credibility of the witness himself." अतः किसी भी साक्षी से न्यायालय में घटना का सचित्र वर्णन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

23– उक्त संबधं में यह अवलोकनीय है कि किसी घटना में आहत हुए व्यक्ति की विश्वसनीयता एवं उसकी एकल साक्ष्य पर विश्वास किए जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेंकों मामलों में यह प्रतिपादित किया है कि किसी घटना में आहत हुआ व्यक्ति सर्वोत्तम साक्षी होता है क्योंकि घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति की गारंटी होती है। वह भुक्तभोगी होता है तथा सर्वोत्तम व्यक्ति होता है, जो दोषी को बचाने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति की साक्ष्य पर विश्वास न करने के लिए अत्यंत ठोस तथा विश्वसनीय प्रमाण की आवश्यकता व अपेक्षा की जानी चाहिए।

24– न्याय दृष्टांत **"बलवन विरूद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा, 2014 लॉ सूट (एस.सी.) 627"** में इस संबंध में प्रचलित पूर्ववत विधि को इन शब्दों में स्थापित कर दिया गया है कि– "It is trite law that the evidence of injured witness, being a stamped witness, is accorded a special states in law. This is as a consequence of the fact that injury to the witness is an inbuilt guarentee of his presence at the scene of the crime and because the witness would not want to let actual assailant go unpunished."

25– अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत तथा प्रकरण की विवेचना अनुसार बचाव पक्ष का यह तर्क कि फरियादी एवं चक्षुदर्शी साक्षीगण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0–1 के अनुसार कथन नहीं किया है, निराधार प्रतीत होता है, क्योंकि घटना का सर्वोत्तम साक्षी स्वयं आहत है और आहत द्वारा घटना के समर्थन में कथन किया गया है तथा घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण द्वारा भी बताया गया है कि आरोपीगण द्वारा शासकीय बाधा में उत्पन्न कर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया, जिनकी साक्ष्य भी प्रतिपरीक्षण के दौरान अखंडनीय रही है।

26– घटना के समय मौके पर अभियुक्तगण की उपस्थिति फरियादी एवं अन्य साक्षीगण की साक्ष्य से सुनिश्चित होती है एवं आहतगण के साथ उनका

वाद–विवाद की घटना प्रमाणित होती है तथा अभियुक्तगण द्वारा अन्यत्रता का बचाव नहीं लिया है।

27– इस प्रकार, अभियोजन की प्रत्यक्ष साक्ष्य में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभास या लोप नहीं आया है, जिससे घटना कारित होने के संबंध में किसी प्रकार का अविश्वास किया जा सके। अतः यह तो प्रमाणित होता है कि अभियुक्त हरप्रीतसिंह तथा जसप्रीत ने दिनांक 22.12.2019 को समय 21:25 बजे से 21:40 बजे के मध्य अंतर्गत आरक्षी केन्द्र कोतवाली जिला खंडवा स्थित रामनगर खण्डवा में लोकसेवक **रमेश मोरे एवं अन्य पुलिसकर्मियों** पर उनकी सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को कारित करने के लिए या उक्त लोक सेवक को क्षति, भय, क्षोभ, कारित करने के आशय से हमला एवं आपराधिक बल का प्रयोग किया है एवं उक्त लोकसेवकों एवं अन्य पुलिसकर्मियों को उस समय जब वे लोकसेवक के नाते अपने पदीय कृत्यों का निष्पादन कर रहे थे, तब उक्त लोक सेवक को उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा उत्पन्न की। अतः विचारणीय बिंदु **क्रमांक 1 व क्रमांक–2 ''प्रमाणित''** पाया जाता है।

28– तथ्य, विधि एंव साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना के परिणामस्वरूप अभियोजन **अभियुक्त हरप्रीतसिंह एवं जसप्रीत** के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा–353 (दो काउंट) एवं 186 (दो काउंट) के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे आरोप प्रमाणित करने मे पूर्णतः सफल रहा है।

29– परिणामतः अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा–353 (दो काउंट) एवं 186 (दो काउंट) के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप में **दोषसिद्ध** ठहराया जाता है।

30– अभियुक्तगण की वर्तमान आयु, अपराध की प्रकृति एंव प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह निर्णय अभियुक्तगण को दंड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए बी.एन.एस.एस की धारा–271(2) के प्रावधानों के अनुसार कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(नेहा प्रजापति)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा म.प्र.

<u>–:विचारणीय बिंदु क्रमांक–3 का निराकरण:–</u>
<u>–:दण्डादेश:–</u>

31– दंड के प्रश्न पर अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अतः कम से कम दंड से दंडित किया जावे, और मात्र अर्थदंड से दंडित किया जावे।

32– अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह सही है कि अभियुक्त जसप्रीत की पूर्व दोषसिद्धी के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है, न ही ऐसा कोई अभिवाक् अभियोजन की ओर से लिया गया है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त जसप्रीत की प्रथम दोषसिद्धी मान्य किये जाने योग्य है, परंतु आरोपी हरप्रीत के संबंध में पूर्व से आपराधिक रिकार्ड पंजीबद्ध है जिसकी तामीली में आरोपी हरप्रीत द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया। ऐसी स्थिति में आरोपी हरप्रीत के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा लिया गया निवेदन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

33– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दंड नीति के संबंध में **<u>न्यायदृष्टांत उत्तरप्रदेश राज्य वि0 संजय कुमार (2012) 8 एस.सी.सी. 537</u>** में मार्गदर्शन देते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि अपराध एवं दंड के मध्य समानुपात का सिद्धान्त भारतीय अपराध विधि मे अत्यधिक प्रयोज्य है और न्यायालय को दंड अधिरोपित करते समय अपराध तथा दंड के बीच समानुपात बनाये रखना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्गदर्शित उक्त विधि के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को उनके द्वारा किये गये अपराध के समानुपातिक दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

34– अभियुक्तगण घटना के समय स्वस्थ मनोचित व्यक्ति रहे हैं, तथा उनके द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है जिसे सामान्यतः आरोपी हरप्रीत के द्वारा पुलिस द्वारा प्रस्तुत तामीली पर सहयोग करने से समाप्त किया जा सकता था परंतु आरोपीगण द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। ऐसी स्थिति मे अभियुक्तगण को शिक्षाप्रद दंड दिया जाना आवश्यक है।

35– उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्क एंव समग्र तथ्य पर विचार उपरांत मेरे मतानुसार अभियुक्तगण को निम्नानुसार दंडित किया जाता है–

क्र.	**आरोपी का नाम**	**भारतीय दंड संहिता की धारा**	**कारावास**	**अर्थदंड**	**अर्थदंड के व्यतिक्रम मे दिया गया कारावास**
1.	हरप्रीत	353 (दो काउंट) एवं 186 (दो काउंट) भा.द.सं.	न्यायालय उठने तक की सजा	धारा 353 में प्रत्येक काउंट के लिये 1500–1500 इस तरह कुल 3000/–रूपये (अक्षरी तीन हजार रूपये) एवं धारा 186 (2 काउंट) में 500/–रूपये कुल 3500	एक माह का साधारण कारावास
2.	जसप्रीत	353 (दो काउंट) एवं 186 (दो काउंट) भा.द.सं.	न्यायालय उठने तक की सजा	धारा 353 में प्रत्येक काउंट के लिये 1500–1500 इस तरह कुल 3000/–रूपये (अक्षरी तीन हजार रूपये) एवं धारा 186 (2 काउंट) में 500/–रूपये कुल 3500	एक माह का साधारण कारावास

36– प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

37– अभियुक्तगण को निर्णय की सत्यप्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

38– अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

39– अभियुक्तगण द्वारा हस्तगत प्रकरण के अनुसंधान, जांच तथा विचारण के दौरान बिताई गई निरोध अवधि के संबंध में बी.एन.एस.एस. की धारा 468 के अधीन पृथक से प्रमाण–पत्र बनाया जाए तथा उक्त प्रमाण–पत्र संलग्न अभिलेख किया जावे।

स्थान खंडवा जिला खंडवा म.प्र.
दिनांक–11.07.2026

निर्णय दिनांकित हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया।	मेरे उदबोधन पर टंकित।
(नेहा प्रजापति) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा (म.प्र.)	**(नेहा प्रजापति)** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा (म.प्र.)

NEHA PRAJAPATI Digitally signed by NEHA PRAJAPATI